(c) what is the present policy?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) and (b) United States military aircraft were permitted to overfly Indian air space during September, 1990.

(c) Under Government's present policy foreign military aircraft are permitted to use Indian air space and air ports in accordance with established guidelines and procedures. Such permission is granted on the basis of international practice and reciprocity.

देश में राष्ट्रीय जलमार्ग

1477. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी सईदा खातून :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन-किन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया हैं और उनके विकास के लिए क्या-क्या कार्य किया गया हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के किन-किन जलमार्गों को इन जलमार्गों में शामिल किया गया हैं; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो, तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सोन अथवा चम्बल के किसी जल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अभी तक गंगा, भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के इलाहाबाद-हल्दिया खंड और ब्रह्मपुत्र के सादिया-धुबरी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, प्रथम चरण में हल्दिया से बलिया तक गंगा के नाजुक खंडों में निकर्षण और बैंडलिंग करके पूरे वर्ष के लिए न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई और 45 मीटर चौड़ाई का नौचालन योग्य चैनल और ब्रह्मपुत्र में धुबरी से गंभारी तक के खंड में न्यूनतम 2.25 मी० गहराई तथा 45 मीटर चौड़ाई के चैनल का विकास कर रहा है । कम जलस्तर के मौसम में दिन के समय नौचालन के लिए नौचालन चैनल के साथ-साथ जहाजों के मार्गदर्शन के लिए चैनल मार्कों की व्यवस्था की गई हैं और हल्दिया, कलकत्ता, बेहरामपुर, पाकुर, फरक्का, भागलपुर, मुंगेर तथा पटना में नौचालन टर्मिनल, सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश में किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है ।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फैक्स मशीन सुविधा का विस्तार

1478. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी सईदा खातून :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में फैक्स मशीन और इलैक्ट्रॉनिक डाक की सुविधाओं का विस्तार करने का विचार रखती है;

(ख) इन सविधाओं की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाये उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां, सरकार का फैक्स सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव हैं । जहां तक इलैक्ट्रॉनिक डाक का संबंध है देश में यह सेवा अभी शुरू नहीं की गयी हैं।

(ख) 30 जून, 1991 तक, विभिन्न तार घरों के 383 यूरोफैक्स केन्द्रों में

फैक्स सेवा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 30 जून, 1991 तक देश में काम कर रहे 516 दूर संचार केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्रों में भी यह सेवा उपलब्ध हैं। वर्तमान नीति के अनुसार, निजी पार्टियां भी, तार प्राधिकारी से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करके अपनी टेलीफोन लाइन से इस सेवा का प्रचालन कर सकती हैं।

(ग) योजना में उपभोक्ता डायलिंग नेटवर्क से जुड़े सभी स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से फैक्स सेवा शुरु किए जाने पर विचार किया गया है जिसे परियात की संभावना के आधार पर राजस्व जिला मुख्यालयों, उपमंडलीय मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों से शुरु करके नीचे तक के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन और तार के उपखंड

1479. **श्री अजीत जोगी :**

श्रीमती सत्या बहिन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय टेलीफोन और तार के कितने उपखण्ड हैं;

(ख) कार्य के बढ़ते हुए भार को देखते हुए क्या इन उपखंडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यदि हां, तो ये उपखण्ड कौन-कौन से स्थानों पर खोले जायेंगे;

(ग) उपखण्ड खोलने के क्या मापदण्ड हैं तथा क्या मध्य प्रदेश में उपखण्डों की संख्या इस सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है; और

(घ) उन प्रदेशों के नाम क्या-क्या हैं जिनमें उपखण्डों की संख्या निर्धारित मापदण्डों की तुलना में कम अथवा अधिक है।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में 22 टेलीफोन उपमण्डल तथा 39 तार उप-मंडल हैं।

(ख) जी हां, कार्यभार के आधार पर मानकों के अनुसार निम्नलिखित मण्डल बनाने का औचित्य बनता है।

1. रायसेन तार उप-मण्डल।
2. नागदा तार उप-मण्डल।
3. झबुआ तार उप-मण्डल।
4. होशंगाबाद तार उप-मण्डल।
5. सिवनी तार उप-मण्डल।
6. कंकेर तार उप-मण्डल।
7. देवास टेलीफोन उप-मण्डल।
8. रतलाम टेलीफोन उप-मण्डल।

(ग) और (घ) उप-मण्डल खोलने के लिए निम्नलिखित मानक हैं :—

(1) एक टेलीफोन उप-मण्डल की मंजूरी तभी दी जाती है जब संकेन्द्रित प्रणाली में कुल कार्यभार 4420 एस. आई.यू. (स्टाफ निरीक्षण यूनिट) यूनिट हो जाए।

(2) किसी दूरसंचार जिले में एक तार उप-मण्डल की मंजूरी पूर्णयोग आधार पर 6800 एस० आई० यू० की दर से पूर्णतः प्रकीर्ण परिसम्पत्तियों के लिए दी जाती है तथा इसमें 0.5 के भिन्न अंक को अगले पूर्णांक तक ले जाया जाता है।

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्धारित मानकों से अधिक टेलीफोन/तार उप-मण्डल हों। तथापि, निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्तमान कार्य-भार की दृष्टि से नीचे दी गई सीमा तक अतिरिक्त टेलीफोन/तार उप-मण्डल खोलने का औचित्य बनता है।